# उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

**आर0एम0ए0 नं0-19/2009-10**

**नरेन्द्र कुमार तिवारी**

**बनाम्**

**शंभू यादव एवं अन्य**

**-: आदेश :-**

दिनांक 05/03/14

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता नरेन्द्र कुमार तिवारी पे0-स्व0 राम सागर तिवारी सा0-तुलसीकीत्ता थाना-पथरगामा जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0-94/2006-07 के आदेश दिनांक-06.10.2009 के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रा0वि0 वाद सं0-94/2006-07 के आदेश दिनांक-06.10.2009 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-तुलसीकीत्ता नं0-142 प्रधानी मौजा है एवं अपीलकर्त्ता मौजा के नियुक्त प्रधान है। उक्त मौजा के अन्तर्गत जमाबंदी सं0-01 प्रधानी जोत कहकर सर्वे खतियान में दर्ज है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के नियुक्ति के पूर्व अपीलकर्त्ता के पिता उक्त मौजा के प्रधान थे। अपीलकर्त्ता के पिता की मृत्यु के बाद एवं अपीलकर्त्ता के नियुक्ति के अंतर समय के बीच उत्तरवादी शंभू यादव वगैरह ने प्रधानी जोत जमीन दाग नं0-431 रकवा 01-10-14 धुर जमीन अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है तथा उसके आंशिक हिस्से पर मकान भी बना लिया है। इसके अलावे दाग नं0-432 रकवा 01-14-05 धुर जमीन पर उत्तरवादीगण के द्वारा अवैध ढंग से कृषि कार्य किया जा रहा है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादीगण का यह कथन है कि मेंकफर्सन में उक्त जमीन उत्तरवादीगण के पूर्वज के नाम से दर्ज है, का कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि मेकफर्सन पर्चा वर्तमान में अस्तित्व में है नहीं। गत सर्वे गेंजर सर्वे सेटलमेंट का ही मान्य है और गत गेंजर सर्वे सेटलमेंट के अनुसार उक्त जमीन प्रधानी जोत की जमीन है। उत्तरवादीगण की ओर से बंदोवस्ती पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में दाखिल सेटलमेंट करेक्शन केश नं0-18/08 के आदेश के विरूद्ध दाखिल रिविजन आवेदन भी न तो माननीय आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के द्वारा अंगीकृत किया गया है और न ही सुनवाई हेतु निर्धारित है। उनका आगे कथन है कि उक्त प्रधानी जोत से अतिक्रमण हटाने के लिए अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था। लेकिन न्यायालय

ने प्रधानी जोत से उत्तरवादीगण का अतिक्रमण नहीं हटाकर अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया गया। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने एवं निम्न न्यायालय को विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देश देने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील के समयावधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल है, जिसके वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश दिया गया।

प्रक्रिया के दौरान उत्तरवादी विनोद यादव की मृत्यु होने के कारण उनके स्थान पर संतलाल यादव वो बसंतलाल यादव वो कपिलदेव यादव वो बजरंगी यादव पे0—स्व0 बिनोद यादव को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया है।

उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा तुलसीकीत्ता के जमाबंदी सं0—01 प्रधानी जोत कहकर प्रधान हरि प्रसाद तिवारी के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज किया गया है। मौजा तुलसीकीत्ता के जमाबंदी सं0 1 का निर्माण मेकफर्सन के जमाबंदी सं0—03 एवं 35 से किया गया था। मेकफर्सन सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मौजा तुलसीकीत्ता जमाबंदी सं0—3 एवं 35 नबाबी गोप उर्फ खिरहर पे0 मंचू गोप के नाम से दर्ज है। मंचू गोप उत्तरवादीगण के पूर्वज थे। मंजू गोप के दो पुत्र नबाबी गोप उर्फ खिरहर एवं बिहारी गोप हुए। मेकफर्सन सर्वे के पूर्व ही दोनों भाई अलग— अलग हो गये थे। मेकफर्सन सर्वे के पूर्व ही बिहारी गोप उर्फ खिरहर अपने पत्नि मो0 लंछिया एवं एक पुत्री दुखनी देवी को छोड़कर फौत कर गये। लेकिन परिवार का कर्त्ता होने के कारण मेकफर्सन पर्चा में नबाबी गोप के नाम से दर्ज हुआ। कालान्तरण में दुखनी देवी की शादी हरिचरण राउत के साथ हुई थी। हरिचरण राउत मो0 लछिया एवं भतु खिरहर के साथ रहने लगे। दुखनी देवी को पुत्र महावीर यादव हुए। उत्तरवादीगण महावीर यादव के वंशज है। उनका आगे कथन ह कि भतु गोप गेंजर सर्वे सेटलमेंट के समय मवेशी चराने बाहर चले गये थे। इस कारण से गेंजर सर्वे सेटलमेंट का उनको कोई जानकारी नहीं मिल सका और उक्त जमीन पर ग्राम तुलसीकीत्ता के सुदान चाँद ने कुर्फानामा के आधार पर दावा किया था। चूँकि सुदान चाँद का दावा सही नहीं पाया गया था। इसलिए सुदान चाँद के दावा को खारिज किया गया था। उस समय हरि प्रसाद तिवारी मौजा तुलसीकीर्त्ता के प्रधान थे। उन्होंने चलाकी से मूल रैयत को उच्छेद किये विना उक्त जमीन को प्रधानी जोत जमीन में दर्ज करा लिया था। लेकिन प्रधान हरि प्रसाद तिवारी ने अपने जीवन काल में कभी भी दावा नहीं किया था। उनकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र जब मौजा के प्रधान बने तब उन्होंने प्रधानी जोत जमीन पर दावा करना शुरू कर दिया। इसके लिए रामसागर तिवारी के द्वारा क्रिमीनल केश भी दायर किया था, जिसमें रामसागर तिवारी हार गये थे। उनका आगे कथन है कि माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0

नं0–118 / 14–15 लंबित है। इसलिए उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पथरगामा के पत्रांक–351 / रा0 दिनांक–08.07.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा तुलसीकीत्ता के जमाबंदी सं0–1 कुल रकवा 06–04–09 धुर जमीन गेंजर सर्वे सेटलमेंट पर्चा में हरि प्रसाद तिवारी के नाम से दर्ज है। उक्त प्रधानी जमीन का न्यायालय बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका के विविध वाद सं0–18 / 08 (विनोदी गोप–वादी बनाम् अंचल अधिकारी, पथरगामा–प्रतिवादी) का दावा खारिज कर दिया गया है। वर्तमान में शंभू यादव उक्त प्रधानी जोत जमीन को अवैध ढंग से कब्जा कर रखा है।

विज्ञ सरकारी वकील से मंतव्य प्राप्त है। विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि मौजा तुलसीकीत्ता के जमाबंदी सं0–1 हरि प्रसाद तिवारी प्रधान के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है और प्रधानी जोत प्रधान की ऑफिसियल जोत की जमीन होती है। उत्तरवादी शंभू यादव के द्वारा मेकफर्सन पर्चा के आधार पर दावा किया जा रहा है। जिसका अस्तित्व वर्तमान में नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों जॉच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा तुलसीकीत्ता जमाबंदी सं0–1 कुल रकवा 06–04–09 धुर जमीन गेंजर सर्वे सेटलमेंट पर्चा में हरि प्रसाद तिवारी प्रधान के नाम से दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि अपील वादगत जमीन प्रधानी जोत जमीन है। लेकिन उत्तरवादी के द्वारा लाया गया तथ्य से स्पष्ट है कि उभय पक्ष के बीच मामला माननीय आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–118 / 14–15 लंबित है। अतः ऐसी स्थिति में वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। माननीय आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका में आदेश होने पर पुनः निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता अपना पक्ष रख सकते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 15:36:53 +05:30
Location: 192.168.29.32